आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित 3

08/5/17

आदेश

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–10.02.2017 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी निरंजन सिंह, पिता–बिरबल सिंह, ग्राम–मोहनपुर, पोस्ट–महेसौता, अंचल–शंभुगंज, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या–523110126101600703/2A वर्ष–2017 निरंजन सिंह बनाम् अंचल अधिकारी, शंभुगंज है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक–220 दिनांक–17.03.2017 एवं पत्रांक–304 दिनांक– 15.04.2017 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। सुनवाई की निर्धारित तिथि–03.05.17 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे।

अपीलार्थी का परिवाद यह है कि सरकारी अमीन के द्वारा मापी की गयी उसमे सभी जगह चिन्हित किया गया लेकिन 08.02.17 को मात्र दो घर को अतिक्रमण मुक्त किया गया। शेष चिन्हित किये गये मकान को अंचलाधिकारी के द्वारा छोड़ दिया गया।

अंचल अधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक–220 दिनांक–17.03.2017 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा मौजा–मोहनपुर, थाना नं0–196, खाता–77, खेसरा–108 एवं 142, रकवा–1.89 ए0 को अतिक्रमण मुक्त कराने का परिवाद किया गया है। पूर्व में संधारित अतिक्रमण वाद सं0–03/16–17 में हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आलोक में चिन्हित दो अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है परन्तु वाद ग्रस्त भुखंड पर कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसे चिन्हित करने हेतु अंचल अमीन को निदेशित किया गया है। कुल–11 व्यक्तिओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमीन द्वारा चिन्हित किये गये सूची में आवेदक का भी नाम है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी को पुनः प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया जिसके आलोक में पत्रांक–304 दिनांक–15.04.17 द्वारा यह प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि–

"........मौजा–मोहनपुर, थाना नं0–196, खाता सं0–77, खेसरा–108 एवं 142 गैर मजरूआ है जिसे मोहनपुर के ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित कर मकान बना लिया गया है। हल्का कर्मचारी व अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अतिक्रमण वाद संधारित कर (वाद सं0–01/17–18) कुल–11 अतिक्रमणकारियों को प्रपत्र–I में खास सूचना निर्गत की गयी है। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत् अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमित भूमि मुक्त करा ली जायेगी।

उक्त प्रतिवेदन समर्पित करते हुए परिवाद पत्र को निष्पादित करने का अनुरोध अंचल अधिकारी, शंभुगंज द्वारा किया गया है।

अतः विचारोपरांत वाद की कार्यवाही इस आलोक में समाप्त की जाती है कि यदि अंचल अधिकारी, शंभुगंज अतिक्रमण मुक्त नहीं कराते है तो परिवादी को यह अधिकार होगा की वे पुनः परिवाद दायर कर सकते है।

लेखापित

8.5.17

जिला पदाधिकारी,
बांका

8.5.17

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।